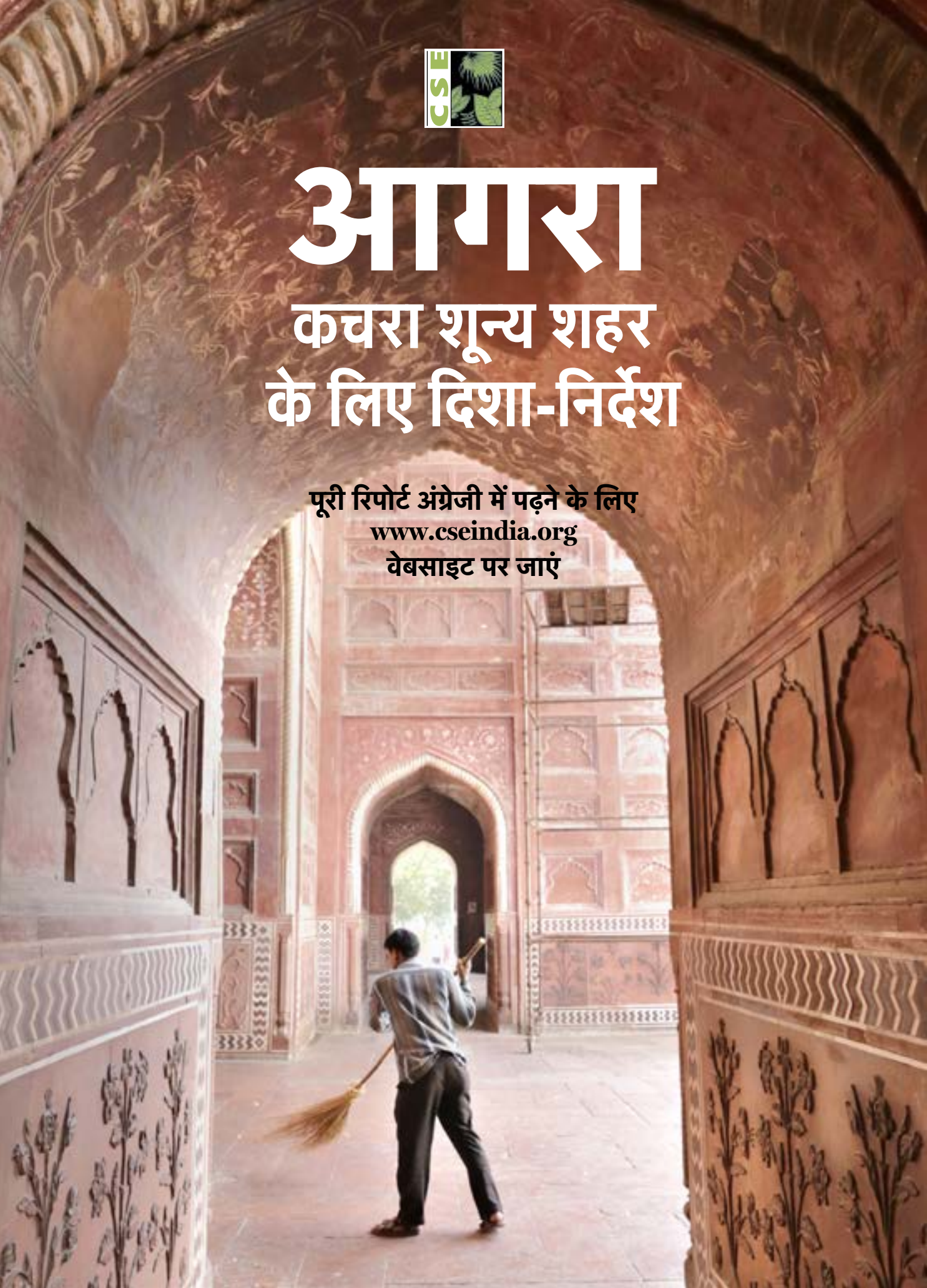

आगरा

कचरा शून्य शहर के लिए दिशा-निर्देश

पूरी रिपोर्ट अंग्रेजी में पढ़ने के लिए
www.cseindia.org
वेबसाइट पर जाएं

आगरा के बारे में

- आगरा कहां स्थित है: नई दिल्ली से 206 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर
- एक जिला मुख्यालय
- कैंटनमेंट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले हिस्से को छोड़कर पूरा शहर आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (एएमसी) के अधीन आता है।
- आबादी: 15.8 लाख (जनगणना 2011), साथ ही 3 लाख अस्थाई आबादी (आगरा जलसंस्थान के मुताबिक)
- जोन और वार्ड: स्वच्छता और कूड़ा प्रबधंन सेवाओं के लिए 100 वार्डों को चार ज़ोन में बांटा गया है।

आगरा में कूड़ा प्रबंधन

लखनऊ के रीजनल सेंटर फॉर अरबन एंड एनवायरमेंट स्टडीज (आरसीयूईएस) के अनुसार, साल 2017 में आगरा में रोजाना 712 टन कचरा निकलता था (सड़कों से निकलने वाली गंदगी और ड्रेन की गाद को छोड़कर)। प्रति व्यक्ति अगर हम आंकड़े निकालें, तो रोजाना प्रति व्यक्ति 0.4 किलोग्राम कचरा आता है (जोन आधारित कूड़े का आंकड़ा ग्राफ 1 में देखें)।

ग्राफ 1: आगरा – जोन आधारित कूड़ा

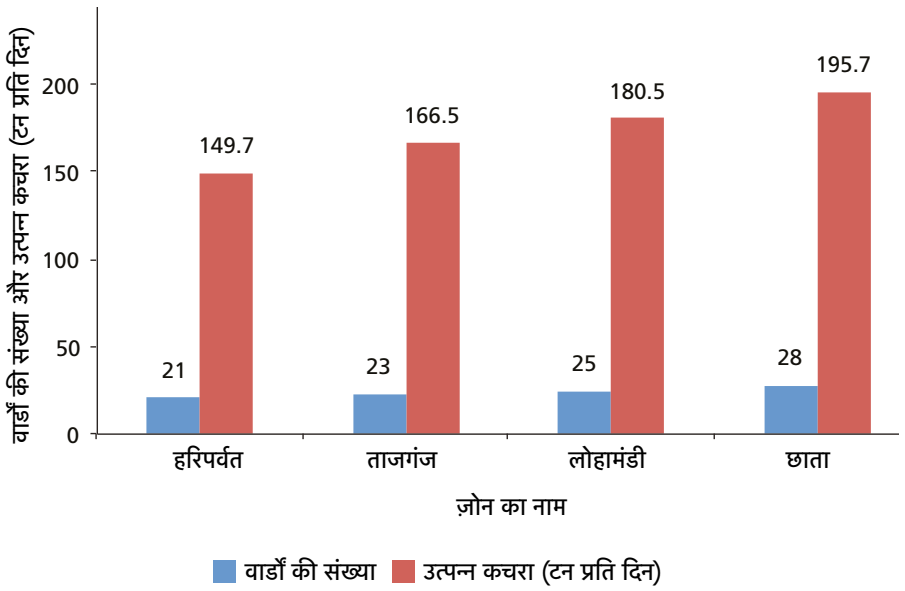

आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (एएमसी) से मिले सेकेंडरी डेटा के मुताबिक, आगरा में कुल 2352 बल्क वेस्ट जेनरेटर्स (बीडब्ल्यूजी) हैं, जिनकी हिस्सेदारी शहर से निकलने वाले कुल कूड़े का 30 प्रतिशत है।

एएमसी ने शहर के सभी बीडब्ल्यूजी से कूड़ा संग्रह करने और प्रसंस्करण के लिए नेशनवाइड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एनडब्ल्यूएमएस) लागू किया है। एनडब्ल्यूएमएस ने धांधु पुरां में 4 टन कूड़े के रोजाना प्रसंस्करण के लिए विक्रेंद्रीकृत कूड़ा प्रसंस्करण व्यवस्था और रामबाग-टेडी बगिया में रोजाना 120 टन सूखे कूड़े के प्रसंस्करण के लिए मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्थापित किया है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की तरफ किये गये अध्ययन में पता चला कि शहर से निकलने वाले कुल कचरे का 58 प्रतिशत हिस्सा गीला कूड़ा होता है, जिनका प्रबंधन बहुत आसानी से कूड़ा-खाद (कम्पोस्ट)

बनाने के तरीकों से किया जा सकता है। वहीं, 29 प्रतिशत (लगभग) कूड़े का पुनःचक्रण या ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ 13 प्रतिशत कूड़े को खतरनाक या ऐसे कचरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किसी तरह प्रसंस्कृत या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। (ग्राफ-2 देखें):

ग्राफ 2: आगरा में अलग अलग तरह का कूड़ा (2017)

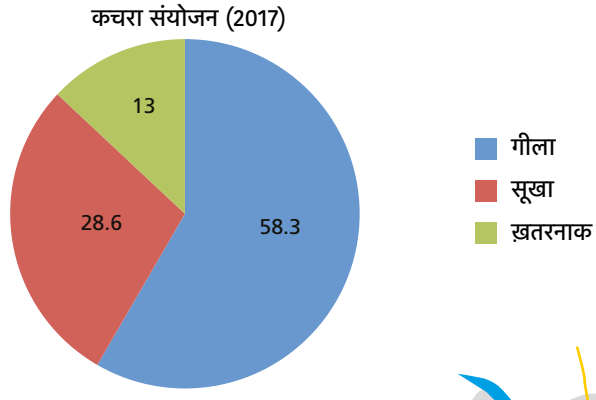

मेप: आगरा कूड़ा प्रबंधन

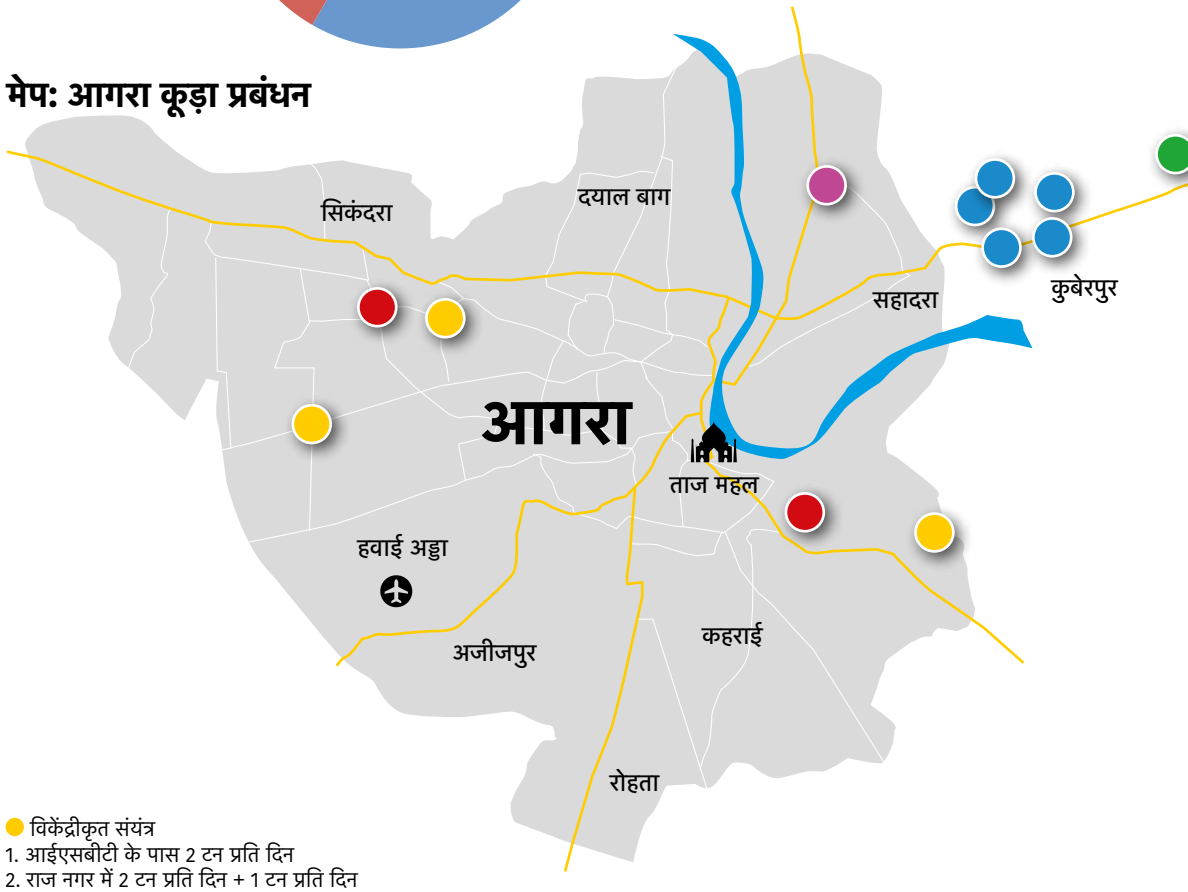

- विकेंद्रीकृत संयंत्र
  1. आईएसबीटी के पास 2 टन प्रति दिन
  2. राज नगर में 2 टन प्रति दिन + 1 टन प्रति दिन
  3. धांधु पुरा में बीडब्ल्यूजी के लिये ४ टन प्रति दिन
- केंद्रीकृत संयंत्र
  1. 300 टन प्रति दिन कूड़े से खाद
  2. 20 टन प्रति दिन कूड़े से खाद
  3. 5 टन प्रति दिन ओडब्लूसी
  4. प्रस्तावित कूड़े से ऊर्जा संयंत्र
  5. कुबेरपुर डम्पसाइट
- ट्रान्सफ़र स्टेशन
  1. ताजगंज ट्रान्सफ़र स्टेशन
  2. लोहा मंडी ऐवम हरिपर्वत ट्रान्सफ़र स्टेशन
- ऐमआरएफ
  1. रामबाग- टेडिबगिया में 120 टन प्रति दिन
- जेआरआर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज़

एएमसी ने दावा किया है कि साल 2020 तक तीन अलग-अलग व्यवस्थाओं से कूड़े का उठाव होता था: जैविक और खुद सड़ जाने वाले कूड़े के लिए हरा डिब्बा, सूखा और पुनःचक्रण करने वाले कूड़े के लिए नीला डिब्बा और खतरनाक कूड़े के लिए लाल डिब्बा। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों और गलियों से सड़क की सफ़ाई का कचरा, नाली की गाद और जड़ता को संग्रह करने का जिम्मा एएमसी के रास्ते की सफाई करने वाले कर्मचारियों पर था। हालांकि, सभी एजेंसियों के साथ अनुबंध साल 2020 में खत्म कर दिया गया था।

घर-घर जाकर ठोस कूड़ा उठाने, परिवहन और उनेक निपटान के लिए एएमसी जिम्मेवार है व इसके लिए एएमसी लगभग 4,000 कर्मचारियों और 200 वाहनों पर आश्रित है।

गीले कूड़े का प्रसंस्करण कुल 9 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले चार विकेंद्रीकृत संयंत्र और कुल 325 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले तीन केंद्रीकृत संयंत्र के जरिये किया जाता है।

आगरा के मिश्रित कूड़े को कुबेरपुर डम्प साइट में ठिकाने लगाया जाता है, जो करीब 75 एकड़ में फैला हुआ है। इस साइट को इंटीग्रेटेड वेस्ट प्रोसेसिंग-कम- सैनिटरी लैंडफिल बनाने की योजना थी। एक अनुमान के मुताबिक़ इसमें 800,000 टन लिगेसी कूड़ा रखा जा सकता है। अभी राहतग्राहियों द्वारा रोजाना करीब 1,500 टन लीगेसी कूड़े का निपटारा किया जाता है।

किन चुनौतियों से जूझ रहा है आगरा

ठोस आंकड़े की कमी: आगरा से कुल कितना ठोस कूड़ा निकलता है, इसका ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

एएमसी ने नेशनल ग्रीन ट्रिल्यूनल (एनजीटी) के पास जो रिपोर्ट जमा की है, उसमें शहर से निकलने वाले कूड़े का कोई आंकड़ा शामिल नहीं है। लेकिन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से ट्रायबुनल को दी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि रोजाना 690 टन ठोस कूड़े को परिशोधित किये बिना लैंडफिल में फेंका जाता है।

सामान्य से कम होता स्त्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण: एएमसी दावा करता है कि आगरा शहर से निकलने वाले कूड़े के 40 प्रतिशत हिस्से को पृथक किया जाता है। लेकिन, सीएसई की टीम ने कलेक्शन साइट्स और ट्रांसफर स्टेशनों का दौरा कर पाया कि सामान्य से बहुत कम कूड़े को अलग किया जाता है। एएमसी की ओर से साल 2019 में तैयार की गई एक्शन प्लान रिपोर्ट के अनुसार, स्त्रोतस्थल पर केवल 9 प्रतिशत कूड़े को ही पृथक किया जाता है।

बेहतर संग्रह और परिवहन की जरूरत: कूड़े का संग्रह एक पहलू है, जिसमें आगरा ने प्रगति की है लेकिन कूड़े का अवैध तरीके से निपटारा न किया जाये और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा गलियों में कचरा न फेंका जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए इसमें और सुधार की जरूरत है। शहर में जितने वाहनों और मानव संसाधन की जरूरत है, वो उपलब्ध है, लेकिन कूड़े के परिवहन को चिरस्थाई और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

प्रसंस्करण क्षमता के पूर्ण दोहन की जरूरत: ठोस और गीले कूड़े को मिलाकर आगरा की प्रसंस्करण क्षमता लगभग 450 टन प्रतिदिन है। इस लिहाज से देखें, तो जितना कूड़ा निकलता है, उसके 56 प्रतिशत हिस्से के प्रसंस्करण की क्षमता है, जो सराहनीय है। लेकिन मौजूदा सुविधाओं की स्थापना जिस पैमाने पर और जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, उस पर इनका दोहन नहीं हो पा रहा है। चार विकेंद्रीकृत इकाइयों में से दो इकाइयां निष्क्रिय हैं, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है। तीन केंद्रीकृत इकाइयों में पृथक किये गये गीले कूड़े की प्रोसेसिंग होनी थी, लेकिन उनका इस्तेमाल मिश्रित कूड़े के प्रसंस्करण में किया जाता है।

कचरा शून्य शहर के लिए क्या है रास्ता

स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन सेवाओं के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में आगरा शहर ने 16वां स्थान हासिल किया है। व्यवस्था में मौजूद कमजोरी को दूर कर आगरा स्वच्छ सर्वेक्षण स्कोर बोर्ड में उच्च रैंक और 'प्रेरकदौरसम्मान' में प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त कर सकता है।

ठोस कूड़ा प्रबंधन का विक्रेंद्रीकरण, पुनःचक्रण और प्रसंस्करण की क्षमता में इजाफा और डंप साइट पर कूड़ा निपटान को कम कर आगरा एक मॉडल शहर के रूप में भी उभर कर सामने आ सकता है।

इस लक्ष्य को पाने के लिए आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मजबूत संस्थानिक व्यवस्था, नेतृत्व के स्तर पर क्षमतावान मानव संसाधन, वार्ड और जोन के स्तर पर कर्मचारियों और एक सैनिटेशन टास्क फोर्स की जरूरत है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी कमिश्नर के नेतृत्व में कॉरपोरेशन की मल्टी-सेक्टोरल टीम को करनी होगी।

सीएसई आगरा के लिए ये कदम उठाने की सलाह देता है:

स्त्रोतस्थल पर कूड़े को पृथक करना सुनिश्चित करें।

- स्त्रोतस्थल पर कूड़े को पृथक करने के लिए संवाद माध्यम से प्रचार शुरू करें।
- आर्थिक छूट और मदद दें – मकानों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दें, सीएसआर फंड के लिए स्थानीय व्यवसायियों को आमंत्रित करें आदि।
- गीला और सूखा कूड़े को उठाने के लिए अलग दिन तय करें और रंगीन डिब्बा उपलब्ध करायें।
- वार्ड स्तर पर निगरानी करें।

कूड़े (गीला, सूखा और खतरनाक) के विकेंद्रीकृत प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करें

- प्रचार माध्यमों के जरिये कूड़े से खाद बनाने की इकाई लगाने वाले घरों को आर्थिक प्रोत्साहन, टेक्स में छूट दें और जिन घरों में कूड़े से खाद बनाने की इकाइयां हैं, उनके नाम प्रकाशित करें।
- वार्डस्तर पर गीले कूड़े से खाद बनाने की सुविधा स्थापित करें; इन ढांचों के लिए वित्तीय मदद और संचालन के लिए उद्योगों और एनजीओ के साथ साझेदारी करें।

- गीले खाद की मार्केटिंग सुनिश्चित करें। मिसाल के तौर पर कृषि विभाग के साथ मिलकर ये किया जा सकता है।
- घर-घर जाकर रंगीन डिब्बा और थैलों में गीला और खतरनाक कूड़ा संग्रह करना सुनिश्चित करें।
- गीले कूड़े को दोबारा पृथक करने के लिए सीधे प्रसंस्करण इकाइयों में लाने के लिए प्रभावी परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- रिसाइकिल करने वालों को पहचानें। अलग किये हुए रिसाइकिल करने योग्य कूड़े को अधिकृत रिसाइकिलर के पास और जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, उसे कूड़े से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट में भेंजे।
- खतरनाक कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए पृथक इनसानेरेटर स्थापित करें।

छूटग्राहियों के साथ समझौते की पुनर्रचना करें

- जिन शहरों ने म्युनिसिपल कूड़े के प्रबंधन के लिए इसी तरह के मॉडल को अपनाया है, उन शहरों की बेहतर पद्धतियों व छूटग्राहियों के साथ समझौते की जांच-पड़ताल करें।
- "जितना कूड़ा निकलेगा, उतना पैसा देना होगा" वयवस्था को समझौते का अभिन्न हिस्सा बनाइए।

असंगठित क्षेत्र को जोड़ें

- स्क्रैप डीलर, कूड़ा उठाने वाले और रिसाइकिल करने वालों की शिनाख्त करें और उनका आंकड़ा जुटाएं।
- चयनित वार्ड में इन्हें एक साथ लाकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें।

एएमसी के अधिकारियों और मैनेजरों की क्षमता बढ़ाएं

- इनके लिए प्रशिक्षण एक्सपोजर विजिट आयोजित करें।

आर्थिक तौर पर दीर्घकालिक कूड़ा प्रबंधन सुनिश्चित करें

- यूजर चार्ज लगाएं, नियम का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत जुर्माना और सजा का प्रावधान लागू करें।
- स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये कूड़ा-खाद और अलग किये गये साफ रिसाइकिल करने योग्य सूखे कचरे को बेचने के लिए मूल्य श्रृंखला तैयार कीजिए।
- सिर्फ खतरनाक कूड़े को डंपसाइट पर भेजें। इससे परिवहन खर्च में 75 प्रतिशत तक बचत हो सकती है।
- आगरा के सभी धरोहरों में प्लास्टिक डिपोजिट रिफंड सिस्टम (डीआरएस) लागू करें।
- कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में जीओटैग लगाएं ताकि वाहनों के आधिकारिक मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके।

संस्थागत व्यवस्था को काम में लगायें

- आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टास्क फोर्स का गठन और विभिन्न इकाइयों के बीच आपसी सहयोग में सुधार लायें।
- कूड़ा प्रबंधन कानूनों को लागू करें; कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियों को साथ जोड़कर काम करें।
- सभी औद्योगिक, बीडब्ल्यूजी आदि के लिए पंजीयन सुनिश्चित करें; सभी प्रवासी ठिकानों की मैपिंग की जाये।
- समुदाय-स्तरीय निगरानी को मजबूत किया जाए।

Centre for Science and Environment
41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi 110 062
Phones: 91-11-40616000 Fax: 91-11-29955879
E-mail: subhasish.parida@cseindia.org Website: www.cseindia.org